प्रकरण संख्या 5/2017 लक्ष्मणसिंह बनाम मानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बागसिंह जी का नाडा में आराजी नंबर 2245 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम एवं स्वर्गीय माता मोहनबाई के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भंवरसिंह, रूपसिंह, केशरसिंह, गमेरसिंह एवं लक्ष्मणसिंह पिता तख्तसिंह के नाम दर्ज है, जिनका कोई विवाद नहीं है। समस्त खातेदार उक्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त भूमि अंकित नहीं है न ही उनका कब्जा है, फिर भी उनके द्वारा जबरन अतिक्रमण कर निर्माण करने की धमकियां देते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध शाश्वत निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 24.06.2016 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील दिनांक 12.01.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस. एल. लढ्ढा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व कैम्प में प्रतिवादी के अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिससे उसे निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जानबूझ का कोई विलम्ब नहीं किया गया है। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया तो यह पाया कि राजस्व लोक अदालत में अपीलान्टगण के उपस्थित होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य	

पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में मात्र आंकडे पूरे करने के उद्देश्य से अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने निर्णय पारित किया है जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण जवाबदावे हेतु नियत था एवं प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.07.2016 नियम थी, किन्तु उसके पूर्व ही बिना अपीलान्टगण का जवाब लिये एवं बिना उन्हें किसी प्रकार की सूचना दिये प्रकरण दिनांक 24.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवाकर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 5/2017 लक्ष्मणसिंह बनाम मानसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka
Jodhawat
Date: 2019.12.04 15:21:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: